

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 219/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-20.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 20.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना गम्भीरपुर: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.06.2025 को विपक्षी द्वारा जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा की गाडी पर जोरदार टक्कर मारना जिससे गाडी में बैठे लोगों को गम्भीरपुर चोंट आ जाना व गाडी क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-182/2025 धारा 109/324(4) बीएनएसएस पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 योगेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-19.06.2025 को उ0नि0 योगेश सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त देवेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मीरपुर जमुहार थाना चुनार जनपद मिर्जापुर को अपने वाहन ट्रैलर के साथ दयालपुर मोड़ के पास से समय करीब 19.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- देवेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम मीरपुर जमुहार थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 23 वर्ष पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास:—

1. मु मु0अ0सं0-182/2025 धारा 109/324(4) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 योगेश सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना-तहबरपुर: प्रतिबंधित पशु की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 04.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय पुलिस बल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी 228.5 पर खड़ी एक 14 टायर ट्रक नं0 UP 51AT 3505 में से 25 राशि प्रतिबंधित पशु, जिसमें 22 राशि मृत प्रतिबंधित पशु 3 राशि जिन्दा प्रतिबंधित पशु बरामद किया गया था, उक्त ट्रक में लदे प्रतिबंधित पशु व बैल को बंध हेतु बिहार ले जा रहे थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 124/2025, धारा 3/5ए/8 उ0प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह विवेचना की जा रही थी, जिसमें वाहन स्वामी द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, जिसके द्वारा दिये गये बयान व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र भिष्म मिश्रा ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्री नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 3. बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फेतहपुर 4. बरकत पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम लोरपुर ताजन थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर का नाम प्रकाश में आया, जिसके तहत थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण लगातार दविश दी जा रही थी जिसके क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➡ दिनांक 20.06.2025 को थाना स्थानीय के पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्री नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर को बाद होने इन्मिनान कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे का वांछित अभियुक्त है जिसको थाना क्षेत्र के सोफीपुर चौराहे के पास समय 09.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया हिरासत पुलिस में लेने के उपरान्त पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया है -

पूछताछ का विवरण -

➡ पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि ट्रक नं0 UP 51AT XXXX जो मेरे पिता के नाम है, जिसमें मैं तथा मेरे पिता नरेन्द्र कुमार मिश्रा व ट्रक चालक बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फेतहपुर व जानवरो के व्यापारी बरकत पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम लोरपुर ताजन थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर थे मैं तथा मेरे पिता ट्रक के साथ रहते हैं ट्रक को बुद्धराज चलाता है, तथा बरकत बिहार में व्यापारी सेट करके रखा रहता है और हम सभी लोग ले जाकर जानवरो को बेच देते हैं। कि मैं तथा मेरे पिता नरेन्द्र कुमार मिश्र, चालक बुद्धराज व व्यापारी बरकत सभी द्वारा दिनांक 02.06.2025 को कन्नौज के जंगलो से 25 जानवर (प्रतिबंधित पशु, बैल) को लादकर बिहार के सिवान जिला में कर्बला के पास ले जा रहे थे, कि ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खराब हो गया, गाड़ी को किसी तरह किमी 228.5 तक लेकर आये पर उसके आगे नहीं बढ़ पाया हम लोगो काफी परेशान हुए कि किसी तरह ट्रक बन जाये और माल को उसके स्थान पर डिलेवर कर सके पर गाड़ी नहीं बन पायी और ट्रक में लदे जानवर को हवा, पानी, चारा न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। पकड़े जाने के डर से ट्रक का तीरपाल भी नहीं हटायें। जानवर मरने के कारण उसमें से बदबू आ रही थी दिनांक 03.06.2025 सेहदा के पास एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि मैं सभी जानवरो को नीचे उतार सकता हूँ, उतारने के लिए उसको पैसा भी दे दिया था और बात हुआ कि आज रात में सभी जानवर को उतार दिया जायेगा तथा हम लोग रात होने का इन्तेजार करने लगे कि रात में पुलिस आ गयी और हम लोग पुलिस को देखकर वहा से भाग गये। तभी से मैं इधर उधर भाग रहा था मेरे पिता जी हाजिर भी हो गये थे, आज मैं जानवर उतरवाने के लिए जो पैसा सेहदा के पास व्यक्ति को दिया था उसी से पैसा लेने सेहदा जा रहा था और वही से अपने पिता से मिलने जेल में जाता कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। यह पूछने पर कि ऐसा काम क्यों करते हैं तो बता रहा है कि साहब हम लोगो घुम रहे साड़ व प्रतिबंधित पशु को भाटो को कुछ पैसा देकर नसे पकड़वाकर अपने ट्रक में लाद लेते हैं तथा इसके बाद वहा से लखनऊ आते हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़कर गाजीपुर, बलिया होते हुए सिवान विहार में स्थित कर्बला के पास ले जाकर बेच देते हैं जिससे काफी पैसा मिल जाता है और चारो लोग आपस में बाट लेते हैं, एक महिने में कभी 2 बार कभी 3 बार चक्कर लग जाता है।।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1-आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर

➡पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 124/2025, धारा 3/5ए/8 उ0प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

➡आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 178/2024 धारा 323,325,504,506 भा0द0वि0 थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर

➡गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. हे0का0 प्रवीण सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



03. थाना मुबारकपुर: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 19.06.2025 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिग पीड़िता को अभियुक्त नीरज ठेरा पुत्र इन्द्रराज ठेरा निवासी ग्राम कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ द्वारा बहला फुसला कर अपने घर पर ले जाना तथा वहाँ पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किये जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 260/2025 धारा 64 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST Act. बनाम नीरज ठेरा पुत्र इन्द्रराज ठेरा निवासी ग्राम कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह के वांछित अभियुक्त नीरज ठेरा पुत्र इन्द्रराज ठेरा निवासी ग्राम कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ की तलाश में मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर रोडवेज तिराहे से अभियुक्त को समय 10.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- नीरज ठेरा पुत्र इन्द्रराज ठेरा निवासी ग्राम कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 260/2025 धारा 64 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST Act. थाना मुबारकपुर आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार मय हमराह हे0का0 जयराम तिवारी, का0 प्रवेश चौधरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

